विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : लोक निर्माण

प्रश्न संख्या तारांकित : 2984

उत्तर की तिथि : 10–09–2020

विषय : सड़क निर्माण

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मुलख राज (बैजनाथ):

सम्बन्धित मन्त्री : मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
यह सत्य है कि बैजनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बीड़–बड़ाग्रां सड़क के निर्माण हेतु FCA की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य लम्बित पड़ा है; यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या पग उठा रही है?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 2984 जोकि श्री मुलख राज (बैजनाथ): द्वारा सड़क निर्माण बारे पूछा गया है, के उत्तर बारे सूचना :–

जी नहीं, बैजनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बीड़–बड़ाग्रां सड़क के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला लम्बित नहीं है परन्तु इस सड़क के निर्माण हेतु कि0मी0 15/0 से 21/500 के मध्य लोक निर्माण विभाग की भूमि (गैर मुमकीन सड़क) में आ रहे 31 पेड़ों को काटने का मामला वन विभाग के पास वर्ष 2018 से प्रक्रिया में है। इन 31 पेड़ों में से 18 पेड़ खरसू प्रजाति (ओक प्रजाति) से सम्बन्धित है और इन 18 पेड़ों को काटने की स्वीकृति का मामला प्रमुख अरण्यपाल वन विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र दिनांक 13–08–2020 द्वारा अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किया गया है तथा शेष बचे 13 पेड़ों के काटने की स्वीकृति वन विभाग अरण्यपाल धर्मशाला द्वारा प्रदान की जानी है। इन 13 पेड़ों में से 11 पेड़ बुरानश प्रजाति (Rhododendron arboretum), 1 पेड़ तोस प्रजाति (Picca smithiana) और 1 पेड़ एलन प्रजाति (Cassia Tora) से सम्बन्धित है।